

राजस्थान उच्च न्यायालय

जोधपुर

एस. बी. दांडिक अपील (एसबी) संख्या 2507/2023

दीपक लोहिया पुत्र श्री छितर माल लोहिया, आयु लगभग 36 वर्ष, निवासी
दुकान संख्या 5, मेवाड़ चेम्बर बेसमेंट, नगौरी गार्डन, भीलवाड़ा (राज.).

-----अपीलार्थी

विरुद्ध

1. निर्मला देवी जैन पत्नी श्री छितर माल जैन, निवासी-9-डी-17, न्यू बापू
नगर, भीलवाड़ा (राज.)
2. राजस्थान राज्य, जरिये पीपी

-----प्रत्यर्थीगण

अपीलार्थी के लिए : कोई उपस्थित नहीं

प्रत्यर्थीगण(गण) के लिए : श्री आर.एस. चुंडावत

श्री विक्रम सिंह राजपुरोहित, डिप्टी जी.ए.

माननीय न्यायाधिपति श्रीमान् फरजंद अली

आदेश

रिपोर्ट करने योग्य

16/04/2025

1. वर्तमान अपील, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा 13.02.2020 को
पारित उस निर्णय के विरुद्ध निर्देशित है, जिसके द्वारा प्रत्यर्थी श्रीमती
निर्मला देवी को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया गया था।

अपीलार्थी को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की गई थी। अपील दाखिल करने में 228 दिन का विलंब हुआ था, जिसे भी माफ कर दिया गया था।

2. प्रत्यर्थी पर सम्यक् तामील हो चुकी है तथा उसकी ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री आर.एस. चुंडावत उपस्थित हैं। प्रत्यर्थी संख्या 1 पिछली सुनवाई की तारीख को उपस्थित नहीं था। इसके अतिरिक्त, प्रत्यर्थी संख्या 1 और उसके अधिवक्ता 17.03.2025, 16.12.2024, 06.05.2024, 08.04.2024, और 05.02.2024 को भी अनुपस्थित थे। जारी की गई आदेशिका के अनुसरण में, प्रत्यर्थी, जो एक वृद्ध महिला है, अपने अधिवक्ता के साथ स्वयं उपस्थित हुई।

3. संक्षेप में कहा जाए, मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी के बताने पर एक आपराधिक परिवाद दायर किया गया था, जिसमें अन्य बातों के साथ, अभिकथन किया गया कि अभियुक्त-प्रत्यर्थी ने एक धनराशि उधार ली थी और उक्त देयता के उन्मोचन में, एक चेक आईसीआईसीआई बैंक, भीलवाड़ा पर आहरित, दिनांकित 07.03.2008 राशि 4,00,000/- रुपए हेतु जारी किया। दिनांक 30.08.2008 को उक्त चेक, खाते में निधि की अपर्याप्तता के कारण अनादृत होकर असंदत लौटा दिया गया था।

4. आगे यह भी दलील दी गई कि अभियुक्त को एक विधिक नोटिस दिनांकित 24.09.2008 चेक के अनादरण की जानकारी देने हेतु जारी किया गया था; तथापि, उक्त नोटिस की तामील नहीं हो सकी और वह डाक प्राधिकारी की उस टिप्पणी के साथ उपदर्शित करते हुए वापस लौटा दी गई कि प्राप्तकर्ता बताए गए पते पर उपलब्ध नहीं थी, क्योंकि कथित रूप से उसने अपना निवास स्थान परिवर्तित कर लिया था। अपीलार्थी द्वारा एक

आपराधिक परिवाद संस्थित किया गया, जिसका प्रत्यर्थी द्वारा सम्यक् रूप से प्रतिवाद किया गया था। उभय पक्षों की सुनवाई के उपरांत एवं तथ्यात्मक परिस्थितियों एवं विधिक प्रतिपादनाओं पर विस्तृत परिचर्चा के पश्चात्, विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रत्यर्थी को सभी आरोपों से बरी कर दिया, अतः यह अपील प्रस्तुत है।

5. इस मामले में मुख्य विधिक विवादक परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत कानूनी नोटिस की उचित तामील से संबंधित है, ताकि चेक के अनादरण के बारे में अभियुक्त की जानकारी को स्थापित किया जा सके। अपीलार्थी ने अभियुक्त और डाकिये के बीच मिलीभगत का दावा किया; हालांकि, इस दावे को सिद्ध करने हेतु कोई अकाट्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। पीडब्ल्यू-1, अर्थात् परिवादी द्वारा की गई यह स्वीकृति कि वह अभियुक्त के ग्राम करौही स्थित निवास से परिचित था, विशेष महत्व रखती है, विशेषकर इस तथ्य के आलोक में कि नोटिस हाउस नं. 9-डी-17, न्यू बापू नगर, भीलवाड़ा के पते पर भेजा गया था। प्रत्यर्थी का ग्राम करौही में साधारण निवास सम्यक् रूप से स्थापित है। अभिलेख पर ऐसी पर्याप्त सामग्री विद्यमान है, जो इस निष्कर्ष का समर्थन करती है कि नोटिस जानबूझकर अभियुक्त के सही पते पर प्रेषित नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, प्रदर्श पी/5, लौटाया गया लिफाफा, जिस पर अभियुक्त के उल्लिखित पते पर उपलब्ध न होने का पृष्ठांकन अंकित है, जो इस बचाव पक्ष की दलील को और अधिक मजबूत करता है कि वह उस स्थान पर निवास नहीं करती थी, जहाँ नोटिस प्रेषित किया गया था। अभिलेख से यह विश्वसनीय रूप से स्पष्ट होता है कि परिवादी द्वारा चेक के अनादरण के संबंध में प्रत्यर्थी पर आवश्यक सूचना की तामील कराने हेतु कोई गंभीर एवं वास्तविक प्रयास नहीं किया गया।

6. परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधिदेश के अनुसार, चेक के अनादरण के संबंध में बैंक से सूचना प्राप्त होने के पश्चात्, आपराधिक परिवाद संस्थित करने से पूर्व, परिवादी के लिए यह आवश्यक है कि वह विधिक नोटिस के माध्यम से अभियुक्त को विधिवत् सूचित करे।

7. प्रश्नगत अपराध को विनियमित करने वाली विधिक व्यवस्था का मूल्यांकन करने के लिए, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के सुसंगत उपबंध अर्थात् धारा 138 को नीचे पुनरुत्पादित करना प्रासंगिक होगा, जो निम्नानुसार है:

"138. खाते में धनराशि की अपर्याप्तता आदि के कारण चेक का अनादरण

—

जहाँ किसी व्यक्ति द्वारा अपने बैंककार के पास अपने द्वारा बनाए रखे गए खाते पर, उस खाते में से किसी अन्य व्यक्ति को किसी धनराशि के भुगतान के लिए, किसी ऋण या अन्य देयता के, पूर्णतः या अंशतः, उन्मोचन के लिए आहरित कोई चेक, बैंक द्वारा असंदत्त लौटा दिया जाता है, चाहे इस कारण कि उस खाते में जमा धनराशि चेक का भुगतान करने के लिए अपर्याप्त है अथवा वह उस राशि से अधिक है, जिसका उस बैंक के साथ किए गए करार के अनुसार उस खाते से भुगतान किया जाना निर्धारित था, तो ऐसे व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने अपराध किया है और, इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसे ऐसी अवधि के कारावास से, जो दो वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, अथवा ऐसे जुर्माने से, जो चेक की राशि का दोगुना तक हो सकता है, अथवा दोनों से, दण्डित किया जाएगा:

परंतु यह कि इस धारा में अंतर्विष्ट कोई भी बात तब तक लागू नहीं होगी, जब तक कि-

—(a) चेक को उसके आहरित किए जाने की तारीख से छह माह की अवधि के भीतर अथवा उसकी वैधता की अवधि के भीतर, इनमें से जो भी पहले हो, बैंक के समक्ष भुगतान हेतु प्रस्तुत न किया गया हो;

(b) प्राप्तकर्ता या धारक चेक के सम्यक् अनुक्रम में, जैसी भी स्थिति हो, चेक के आहरणकर्ता को लिखित में नोटिस देकर उक्त धन राशि के भुगतान की मांग करता है [बैंक द्वारा चेक के असंदत वापस लौटाए जाने की सूचना प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर; और

(c) ऐसे चेक का आहरणकर्ता, उक्त नोटिस की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर, प्राप्तकर्ता को या, यथास्थिति, चेक के सम्यक् अनुक्रम में धारक को उक्त धनराशि का भुगतान करने में विफल रहता है।

व्याख्या—इस धारा के प्रयोजनार्थ, "ऋण या अन्य देयता से अभिप्रेत एक विधिक रूप से प्रवर्तनीय ऋण या अन्य देयता है।]"

8. परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत अभियोग को कायम रखने के लिए, एक वैध वाद-कारण का होना अनिवार्य है। वैधानिक ढांचा यह परिकल्पना करता है कि आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के लिए वाद-कारण केवल चेक के अनादर और उसके पश्चात आहरणकर्ता को एक विधिक नोटिस जारी करने पर उत्पन्न होता है, जिसमें उन्हें विहित सांविधिक अवधि के भीतर अनादृत राशि का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है। यह केवल आहरणकर्ता द्वारा ऐसे नोटिस का अनुपालन करने में विफल रहने पर-या तो देयता से स्पष्ट रूप से इनकार करके या माने गए गैर-अनुपालन के माध्यम से भुगतान करने से विवक्षित रूप से इनकार करके-ही अपराध पूरा हुआ माना जाता है, जिससे परिवाद दर्ज करने के लिए वाद-कारण उत्पन्न होता है।

9. धारा 138 के तहत नोटिस की आवश्यकता को शामिल करने के पीछे विधायी आशय यह सुनिश्चित करना है कि आहरणकर्ता को चेक के अनादरण के बारे में सम्यक् रूप से सूचित किया जाए और उसे दांडिक अभियोजन का सामना करने से पहले स्थिति को सुधारने का अवसर दिया जाए। यह प्रावधान स्पष्ट रूप से यह आज्ञापक करता है कि किसी भी परिवाद को तब तक ग्रहण नहीं किया जा सकता जब तक कि उससे पहले एक वैध नोटिस न दिया गया हो, जिसकी अभियुक्त पर सम्यक् तामील की जा चुकी हो। केवल नोटिस प्रेषित करना पर्याप्त नहीं है। यह प्रदर्शित किया जाना चाहिए कि नोटिस या तो वास्तव में अभियुक्त द्वारा प्राप्त किया गया था या विधि के अंतर्गत प्राप्त हुआ माना गया था। केवल प्रेषण और प्रभावी तामील के बीच का यह विभेद परिवाद की वैधता और अभियोजन की व्यवहार्यता को अवधारित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण है।

10. इसके अलावा, इस विषय पर न्यायशास्त्र ने **इंकार** की दो अलग-अलग श्रेणियों को मान्यता दी है जो धारा 138 के तहत वाद-कारण का गठन कर सकती हैं:

(1) **स्पष्ट इंकार**, जहाँ आरोपी, नोटिस प्राप्त होने पर, चेक राशि का भुगतान करने से स्पष्ट रूप से इंकार कर देता है, और

(2) **माना गया इंकार**, जो उन परिदृश्यों में प्रवर्तित होती है जहाँ नोटिस अभियुक्त पर तामील हुआ दिखाया जाता है, लेकिन सांविधिक अवधि के भीतर कोई भुगतान नहीं किया जाता है। एनआई एक्ट के तहत आपराधिक अधिकारिता का उपयोग करने के लिए परिवादी द्वारा इनमें से किसी एक शर्त को आवश्यक रूप से पूरा किया जाना चाहिए।

11. यह रेखांकित करना अनिवार्य है कि धारा 138 के दायरे में “नोटिस” की अवधारणा संचार के केवल प्रेषण की पर्याय नहीं है। *अनिवार्य शर्त* यह है कि नोटिस अभियुक्त तक पहुँच जाना चाहिए। ऐसे मामलों में जहाँ यह दर्शाया जाता है कि अभियुक्त ने जानबूझकर तामील से बचने का प्रयास किया—जैसे प्राप्ति से बचना या फरार होना—न्यायालयों से अपेक्षा की जाती है कि वे इस बात की एक प्रासंगिक जांच करें कि क्या ऐसा अपवंचन आन्वयिक तामील के समान है। ऐसे मामलों में, यह भार परिवादी पर है कि परिदान सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाए गए थे और अभियुक्त का आचरण जानबूझकर अपवंचन के समान था।

12. इस संबंध में साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 27 के अन्तर्गत कानूनी उपधारणा सुसंगत हो जाती है। यह उपबंध यह अनुबंधित करता है कि जहाँ कोई दस्तावेज सही पते पर लिखा गया है, पूर्वसंदत्त है, और पंजीकृत डाक द्वारा प्राप्तकर्ता के अंतिम ज्ञात पते पर भेजा जाता है, वहाँ तामील हुई मानी जाती है जब तक प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता। हालाँकि, यह उपधारणा पूर्ण नहीं है; यह केवल तभी प्रवृत्त होती है जब परिवादी संतोषप्रद रूप से यह साबित कर देता है कि जिस पते पर नोटिस भेजा गया था, वह वास्तव में, सुसंगत समय पर अभियुक्त का वास्तविक और साधारणतया निवास स्थान था। ऐसे प्रमाण के अभाव में, मानी जाने वाली तामील की उपधारणा को परिवादी के लाभ के लिए लागू नहीं किया जा सकता।

13. निष्कर्ष के तौर पर, धारा 138 के तहत सांविधिक दायित्व केवल नोटिस भेजने के मात्र कृत्य से पूरा नहीं होता है; कानून यह अनिवार्य करता है कि नोटिस अभियुक्त तक पहुँचना चाहिए, या तो वास्तव में या तर्कसंगतता पर आधारित और विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा समर्थित विधिक

उपधारणा के संचालन के माध्यम से। ऐसे मामलों में जहाँ नोटिस बिना तामील हुए वापस आ जाता है और परिवादी यह साबित करने में विफल रहता है कि इसे अभियुक्त के सही और वर्तमान पते पर भेजा गया था, तामील की बुनियादी आवश्यकता अधूरी रहती है, जिससे वाद-कारण और परिणामस्वरूप, शिकायत की पोषणीयता ही दूषित हो जाती है।

14. यह एक स्थापित कानूनी सिद्धांत है कि परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत अभियोजन आरम्भ करने के लिए अनिवार्य शर्त यह है कि एक वैध और पूर्ण वाद-कारण उत्पन्न हुआ हो। इस तरह का वाद-कारण कानूनी पूर्व-शर्तों की एक श्रृंखला के पूरा होने पर ही उत्पन्न होता है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण शर्त चेक के अनादृत होने के बाद उन पर तामील किए गए कानूनी नोटिस के माध्यम से उठाई गई मांग का आहरणकर्ता द्वारा भुगतान करने में विफल रहना है। विधिक नोटिस को अभियुक्त को अनादृत होने के तथ्य से अवगत कराना चाहिए और उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से पंद्रह दिनों की नियत समय सीमा के भीतर अपने दायित्व का निर्वहन करने की अपेक्षा करनी चाहिए। यह इस विहित अवधि के बीत जाने पर ही है, जब अभियुक्त द्वारा चेक राशि का भुगतान नहीं किया गया होता है, तो धारा 138 के तहत दंडात्मक परिणाम आकर्षित होते हैं, जिससे परिवादी के पक्ष में एक वैध वाद-कारण उत्पन्न होता है।

15. वास्तव में, धारा 138 की विधिक न्यायशास्त्र नींव घटनाओं के इस संरचित अनुक्रम पर आधारित है; किसी कानूनी रूप से प्रवर्तनीय ऋण या देयता के उन्मोचन में चेक का जारी किया जाना, न कि केवल चेक का कोई भी जारी किया जाना या उसके कब्जे में होना। यह समझना अनिवार्य है कि जारी किया गया, प्रतिधारित या अपने कब्जे में रखा गया प्रत्येक चेक इस उपबंध के अंतर्गत दंडात्मक परिणाम आकर्षित नहीं करता है। चेक विनिर्दिष्ट

रूप से किसी विद्यमान विधिक दायित्व के एवज में या ऋण के पुनर्भुगतान के लिए जारी किया जाना चाहिए। जो चेक किसी अन्य उद्देश्य के लिए जारी किए जाते हैं और यदि वे किसी अन्य कारण से अनादृत होते हैं, तो वे धारा 138 के क्षेत्र के भीतर नहीं आएंगे। विधायी आशय स्पष्ट रूप से यह आदेश देता है कि चेक किसी ऐसे विधिपूर्ण ऋण या देयता के विरुद्ध जारी किया गया होना चाहिए जो इसके जारी किए जाने के समय वास्तविक और प्रवर्तनीय हो।

16. इसके अलावा, चेक को उसकी वैधता अवधि के भीतर भुनाने के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जो कि प्रचलित बैंकिंग मानदंडों के अनुसार, इसके जारी होने की तारीख से तीन महीने है। इस अवधि के बाद प्रस्तुत किया गया चेक, लिखत को पुराना और अप्रवर्तनीय बना देगा, जिससे धारा 138 के तहत परिवादी का दावा अकृत हो जाएगा। प्रस्तुत किए जाने पर, चेक को अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त कारणों से अनादृत किया जाना चाहिए, जैसे कि "निधि की अपर्याप्तता" या "व्यवस्था से अधिक, जिसमें ऐसे मामले भी शामिल हैं जहाँ आहरणकर्ता ने "संदाय रोक" का निर्देश जारी किया हो। ऐसे अनादरन के बाद, परिवादी बैंक के रिटर्न मेमो की प्राप्ति से तीस दिनों के भीतर आहरणकर्ता को विधिक नोटिस जारी करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। जैसा कि पहले ही चर्चा की जा चुकी है, इसके बाद अभियुक्त को अनादृत राशि का भुगतान करने के लिए ऐसे नोटिस की प्राप्ति से पंद्रह दिन का समय दिया जाना चाहिए।

17. यह केवल कानूनी नोटिस की प्राप्ति के बाद नियत अवधि के भीतर अभियुक्त द्वारा ऐसा भुगतान करने में विफल रहने पर ही है कि धारा 138 के तहत अभियोजन के लिए वाद-कारण उत्पन्न हुआ माना जाता है। उपर्युक्त में से किसी भी शर्त के अनुपस्थित होने पर-चाहे वह विधिक ऋण हो, समय

पर प्रस्तुति हो, अनादरण हो, विहित समय के भीतर नोटिस हो, या नोटिस प्राप्त होने के बाद संदाय करने में विफलता हो-धारा 138 के तहत परिवाद एक बुनियादी विधिक दुर्बलता से ग्रस्त होगी और खारिज किए जाने योग्य होगी। इस प्रकार, इस उपबंध में शामिल प्रक्रियात्मक कठोरता केवल निदेशात्मक नहीं है, बल्कि अनिवार्य है, जो उस मूल आधार का निर्माण करती है जिस पर अभियोग चलाने का अधिकार प्राप्त होता है।

18. इस अनुक्रम के विधिवत पूरा न होने की स्थिति में, वाद-कारण अधूरा और विधिक रूप से टिकने योग्य नहीं रहता है। यह अधिनियम सार रूप में या केवल चेक के अनादरण मात्र पर किसी भी दंडात्मक दायित्व के उत्पन्न होने को अनुध्यात नहीं करता है; यह एक प्रक्रियात्मक अनुपालन ढांचा अनिवार्य करता है, जिसके उल्लंघन से ही अपराध पुष्ट होता है और परिवादी को आपराधिक विधि तंत्र का उपयोग करने हेतु सक्षम बनाता है।

19. तदनुसार, जहाँ अभियुक्त को कानूनी नोटिस प्राप्त होता है और फिर भी वह नियत पंद्रह दिन की समयावधि के भीतर भुगतान करने में व्यतिक्रम करता है, ऐसे आचरण को कानून में भुगतान करने से एक आन्वयिक और जानबूझकर किए गए इनकार के रूप में माना जाता है, जिससे धारा 138 के तहत अनुध्यात वाद-कारण बनता है। इसके विपरीत, यदि आहरणकर्ता विहित समय के भीतर संदाय कर देता है, तो वाद-कारण परिपक्व नहीं होता है, और कोई अभियोजन संस्थित नहीं किया जा सकता है। विधिक शब्दों में, परिवाद समय पूर्व होगा और पूर्ण वाद-कारण के अभाव में खारिज किए जाने योग्य होगा।

20. इस प्रकार, नोटिस प्राप्ति के बाद सांविधिक अवधि के भीतर देयता का उन्मोचन करने में विफलता कोई मात्र प्रक्रियात्मक चूक नहीं है-यह अपराध

का एक मूल तत्त्व है, जिसके बिना परिवादी के पास मामले पर अभियोग चलाने का विधिक आधार नहीं होता है। नोटिस के बाद संदाय न करने का यह ऐहिक पहलू ही है जो एक सिविल दायित्व को एक दंडात्मक अपराध में बदल देता है। इसलिए, वैध वाद-कारण के अभाव में, धारा 138 के तहत आपराधिक अधिकारिता का आह्वान करना विधिक रूप से संधार्य नहीं रह जाता है।

21. विद्वान विचारण न्यायालय ने भी इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए साक्ष्यों का सूक्ष्म मूल्यांकन किया है कि प्रश्नगत चेक किसी भी विधिक रूप से प्रवर्तनीय ऋण या देयता को चुकाने में अभियुक्त द्वारा अपीलार्थी को जारी नहीं किया गया था। यद्यपि एनआई अधिनियम की धारा 139 के तहत चेक धारक के पक्ष में एक उपधारणा उत्पन्न होती है, लेकिन अभियुक्त ने अकाट्य और विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत करके इसे सफलतापूर्वक खंडित कर दिया। यह स्थापित नहीं हुआ कि कोई ऐसा विधिक रूप से प्रवर्तनीय ऋण या देयता मौजूद थी जिसके लिए चेक जारी किया गया था और बाद में निधि की अपर्याप्तता के कारण अनादृत हुआ था। सार रूप में, अपीलार्थी अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है।

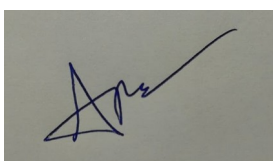
22. विद्वान विचारण न्यायाधीश ने परिवाद को खारिज करने और अभियुक्त को दोषमुक्त करने में विधि या तथ्य की कोई त्रुटि नहीं की है। इसके अलावा, जब तक यह प्रदर्शित नहीं किया जाता है कि साक्ष्य का अत्यधिक गलत मूल्यांकन किया गया है या तात्त्विक साक्ष्य की उपेक्षा की गई है, तब तक अपीलार्थी न्यायालय को दोषमुक्त किए जाने के निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

23. तदनुसार, वर्तमान आपराधिक अपील में कोई सार न पाते हुए, इसे खारिज किया जाता है।

(फरजंद अली),जे

143-ममता/-

अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उसकी भाषा में कर सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारीक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।



आदित्यप्रताप सिंह निरवान